

Registration no: (216121320211124231100) Date: (16-01-2024) Valid till: (16-1-2027)



**जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | MUZAFFARPUR
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र**



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

BIRLA OPEN MINDS INTERNATIONAL SCHOOL

OPP JM HOSPITAL

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोगनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तीकृति का प्रमाण पत्र।

महावाय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 24-11-2021 और उसके छँग में आपसे किये गये जावाब एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय विसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक : 16-01-2024 में किये गए नियम के आलोक में आपके विद्यालय BIRLA OPEN MINDS INTERNATIONAL SCHOOL, OPP JM HOSPITAL, TURKI, 844127 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु दीन वर्ष 16-01-2024 से 16-1-2027 अवधि के लिए और्याधिक प्रस्तीकृति प्राप्ति की जाती है।

प्रदत्त प्रस्तीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्तीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तभा विहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 28 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पढ़ोन के कमज़ोर वर्ग एवं असाध्यकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्ण प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्ण प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. केंद्रिका 3 में उच्चत बच्चों के नामांकन में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के हारा किसी प्रकार का कैपिटेल फीस भी प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्कीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उच्च प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर दूकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के हारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :

- (I) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
- (II) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा भानसिक रूप से प्रतावित नहीं किया जाएगा।
- (III) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (IV) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्राप्त प्रदान किया जाएगा।
- (V) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विद्यालय बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- (VI) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित मूलतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
- (VII) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के वायिल का निर्वहन करेंगे।
- (VIII) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होगे।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार हारा निर्धारित यात्राक्रम एवं पाठ्यरूप का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपरब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

[Signature]
PRINCIPAL
BIRLA OPEN MINDS INTERNATIONAL SCHOOL
TURKI, MUZAFFARPUR

10. विद्यालय अधिनियम की आरा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः:

- (I) विद्यालय परिसर के क्षेत्रफल :- 252 डिसमिटर
- (II) कुल निर्मित क्षेत्र :- 252 डिसमिटर
- (III) खेल के मैदान के क्षेत्र :- INDOOR AND OUTDOOR GAMES, SMART CLASS, MUSIC AND DANCE FACILITY, ECO CLUB, WELL EQUIPED LABS AND LIBRARY
- (IV) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 18
- (V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भैठार कक्ष :- 4
- (VI) बातक तथा बातिकाओं के लिये अंतर्गत शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 13 , Girls 13
- (VII) पेयजल की सुविधा :- 16
- (VIII) मच्छर भोजन के लिये रसोई घर :- 6
- (IX) बाधारहित पार्किंग :-
- (X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/ प्रस्तकालय :- COMPUTER(20), PRISM(5), MICROSCOPE(3), SKELETON(1), TEST TUBE(78), BEAM BALANCE(5), WEIGHT BOX(2), VOLTMETRE(5), BEAKER(15), LI, TMUS PAPER, HCl, H2SO4 SOL, PIPETTE(5), BURETTE(5), TONG(12), CONICAL FLASK(12), MAGNET, STALK WATCH, THERMOMETER, TRIPOD(24), SPATULA(10), PER FOOTBALL(02), BASKETBALL(02), VOLLEYBALL(02), BADMINTON(12), MEASURING TAPE(5), CRICKET BAT(5), BALL(10), STOPWATCH(8), CHESS BOARD(10), CAROM BOARD(7), DART BOARD(6), SKIPPING ROPE(10), SHOT PUT(5), DISCUS(5), BASKETBALL NET (2), BOXING GLOVES(8), SKATING SHOES(2), (Y, 999 , NewsPaper Magazine:- 10)

11. कोई भी अपस्थीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संबंधित नहीं होगा।

12. विद्यालय भदन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा नीतान का उपयोग केवल शिक्षण तथा कीवस विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में सागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।


15. लेखा का अकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आसान में उपर्युक्त लेखा विवरणी त्रैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष विला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्तीकृति कोड संख्या [216121320211124231100, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राधिकारिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "मौग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्तीकृति की शर्तों के लागतार रूप से पूरा करने की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निर्वाचन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुलग्न ॥ के रूप में संलग्न अन्य चारों


विद्यासभाजन
५०।-

जिला शिक्षा पदाधिकारी, MUZAFFARPUR
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

NOG LETTER


PRINCIPAL
BIRLA OPEN MINDS INTERNATIONAL SCHOOL
TURKI, MUZAFFARPUR